बजट स्पेशल (भाग-1)

- यह दस्तावेज भारत सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय के साथ-साथ राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे, प्रभावी
 राजस्व घाटे एवं प्राथमिक घाटें को दर्शाता है।
- इस दस्तावेज में, कर राजस्व और अन्य प्राप्तियों के विस्तृत ब्यौरे के साथ-साथ, प्राप्तियों और खर्चों का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। इसमें केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अंतरित किए गए साधनों का ब्यौरा भी दिया जाता है।
- राजकोषीय घाटा राजस्त्र प्राप्तियों जमा ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों तथा कुल व्यय के बीच का अंतर है। यह सरकार की कुल उधार संबंधी आवश्यकताओं को दर्शाता है। राजस्त्र घाटे का अर्थ राजस्त्र प्राप्तियों की तुलना में राजस्त्र व्यय अधिक होना है। प्रभावी राजस्त्र घाटा राजस्त्र घाटे तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों के बीच का अंतर है। प्राथमिक घाटे को ब्याज भुगतान घटाकर राजकोषीय घाटे द्वारा मापा जाता है।

वार्षिक वित्तीय विवरण- अनुच्छेद- 112

– वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद -112 के तहत <mark>प्रदत्त एक</mark> दस्तावेज है जिसमें वर्ष 2018-19 के अनुमानों के साथ ही वर्ष 2017-18 के वास्तविक व्यय के संबंध में <mark>वर्ष 2</mark>019-20 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों <mark>को</mark> दिखाया जाता है।

प्राप्तियों को तीन भागों में बांटा जाता है।

- 1. भारत की संचित निधि-अनु. 266
- 2. भारत की आकस्मिकता निधि- अनु. 267
- 3. लोक लेखा- अनु. 266
 - यह दस्तावेज भारत सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय <mark>के</mark> साथ-साथ राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे, प्रभा<mark>वी रा</mark>जस्व घाटे एवं प्राथमिक घाटें को दर्शाता है।

संचित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे की महत्वपूर्ण विशेषताएँ-

- संचित निधि में सरकार को प्राप्त होने वाले सभी राजस्व, सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋण, और उसके द्वारा दिए
 गए ऋणों से प्राप्त धनराशियां मिलकर संचित निधि का रूप लेती है।
- संसद की स्वीकृति के बिना, इस निधि से कोई रकम नहीं निकाली जाती।
- 2. आकस्मिकता निधि यह अग्रदाय के रूप में राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहती हैं। जो किसी अप्रत्याशित व्यय हेतु ससंद की स्वीकृति मिलने तक पूरा करने में सहूलियत देती हैं।
- जितनी राशि स्वीकृति की जाती है उसे वापिस संचित निधि से निकालकर आकस्मिकता में डाला जाता है।
- वर्तमान राशि 500 करोड़

3. लोक-लेखा

- सरकार द्वारा ट्रस्ट में धारित धनराशियों को लोक-लेखा में रखा जाता है। भविष्य निधियों, लघु बचत संग्रहणों, सड़क विकास, प्राथमिक शिक्षा जैसे विशिष्ट उद्देश्यों को छोड़कर सरकार की आय अन्य विशेष निधियां आदि लोक लेखे में रखी जाती है।
- राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां तथा इन राजस्वों से पूरा किया जाने वाला व्यय शामिल होता है।

निर्माण IAS निर्माण IAS

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व तथा गैर कर राजस्व प्राप्तियां शामिल है।

कर राजस्व में संघ द्वारा लगाए गए करों व शुल्कों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां शामिल है। गैर कर राजस्व प्राप्तियों में निवेशित पूंजी पर ब्याज लाभांश, तथा सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए शुल्क तथा अन्य प्राप्तियां शमिल होती है।

राजस्व व्यय- सरकारी विभागों के संचालन व्यय, सरकार द्वारा लिये गये ऋण पर ब्याज भुगतान करने, आर्थिक सहायता , सहायता अनुदान आदि शामिल होते हैं। ऐसे व्यय जिनसे किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता।

नोट - ऐसे राजस्व व्यय जिनसे किसी पूंजीगत संपत्ति का सृजन हो, को राजस्व व्यय में से घटा दिया जाता है। प्रभावी राजस्व घाटा = राजस्व व्यय - पूंजीगत सृजन

5. पूंजीगत बजट में पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत भुगतान शामिल होते है।

पूंजीगत प्राप्तियों में सरकार द्वारा जनता से लिए ऋण, राजकोषीय हुंडियों के जिरए सरकार द्वारा RBI या अन्य पक्षों से लिया गया ऋण, विदेशी ऋण, विनिवेश प्राप्तियां तथा राज्य क्षेत्रों से ऋण की वसूली शामिल है। पूंजीगत व्यय में मशीन भवन पर व्यय, शेयरों में लगाई पूंजी, राज्य, कंपनियों, निगमों को दिया जाने वाले ऋण शामिल है।

6. संचित निधि पर भारित व्यय-

- 1. राष्ट्रपति की परिलब्धियां।
- 2. राज्य सभा के सभापति। उप सभापति।
- 3. लोकसभा अध्यक्ष। उपाध्यक्ष।
- 4. उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों।
- 5. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और केन्द्रिय सतर्कता आयोग के वेतन।
- 6. सरकार द्वारा लिए ऋण पर ब्याज और उनकी आदायगी व्यय भारित होगे।

इनके लिए लोकसभा की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

अनुदान मांग - अनुच्छेद - 113

- वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल भारत की संचित निधि से किए जाने वाले तथा लोक सभा की स्वीकृति के लिए अपेक्षित व्यय के अनुमानों को अनुदान मांगों के रूप से प्रस्तुत किया जाता है।
- अनुदान मांगे, लोकसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाता है।
- इसमें किसी नई सेवा, <mark>नई योजना, कंपनी उपक्रम का निरूपण शामिल है।</mark>
- राजस्व व्यय, पूंजी व्यय, <mark>राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को दिए जाने वा</mark>ले अनुदान और ऋण व अग्रिम। **वित्त विधेयक – 110 (1)**

ससंद में वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत <mark>करते समय संविधान के अ</mark>नुच्छेद-110 (1) की अपेक्षा को पूरा करने के लिए वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

- जिसमें बजट में प्रस्तावित कर लगाने, हटाने, माफ करने बदलने या विनियमन का ब्यौरा दिया जाता है। इसमें बजट संबंधी अन्य उपबंध भी होते है जिन्हें धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- संविधान के अनुच्छेद-110 में परिभाषित है कि, वित्त विधेयक एक धन विधेयक हैं।

एफआरबीएम अधिनियम विवरण

वृहत-आर्थिक रूपरेखा विवरण, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3(5) और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत ससंद में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अंतर्निहित पूर्वानुमानों के विवरण सिहत अर्थव्यवस्था की वृद्धि की संभावनाओं का मूल्यांकन शामिल है। इसमें सकल घरेलू उत्पाद विकास दर, केन्द्र सरकार का राजकोषीय संतुलन और अर्थव्यवस्था के वैदेशिक क्षेत्र संतुलन से संबंधित अनुमान भी शामिल होते हैं।

निर्माण IAS निर्माण IAS

(ii) माध्यावधिक राजकोषीय नीति कार्य योजना विवरण

- मध्याविध राजकोषीय नीतिगत विवरण में सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में बाजार मूल्यों पर छह विशेष राजकोषीय संकेतकों अर्थात् (i) राजकोषीय घाटा (ii) राजस्व घाटा (iii) प्राथिमक घाटा (iv) कर घाटा (v) कर-भिन्न राजस्व और (vi) केन्द्र सरकार का ऋण।
- इस विवरण में अंतर्निहित पूर्वानुमानों, राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन से संबंधित निरन्तरता का मूल्यांकन और अर्जक आस्तियों के सृजन के लिए बाजार उधारों साहित पूँजी प्राप्तियों के उपयोग को शामिल किया जाता है।

अंतरिम बजट (2019-20)

1 फरवरी 2019 को पेश किया गया

- 1. New India 2022 भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होगे-ऐसा भारत जो स्वच्छ और स्वस्थ्य हो, सबसे पास अपना घर व शौचालय हो, पानी व बिजली उपलब्ध हो, किसानों की आमदनी दोगुनी हो युवा वर्ग और महिलाओं के पास अवसर हो, आतंकवाद, सांप्रदायिकता जातिवाद भ्रष्टाचार से मुक्त हो।
- 2. पांच वर्षों के दौरान हासिल की गई जीडीपी वि<mark>कास दर 19</mark>91 के बाद सबसे अधिक दर वृद्धि है।
- 3. औसत मुद्रास्फीति 4.6 प्रतिशत हैं।
- 4. राजकोषीय घाटा 2018-19 में 3.4 प्रतिशत है। जो जीडीपी का 2.5 प्रतिशत हैं।
- 5. /पिछ<mark>ले 5</mark> वर्षों के दौरान भारत में 239 बिलियन डालर तक का विदेशी निवेश हुआ।
- 6. संरचनात्मक सुधारों में GST शामिल है।

7. बैंकिंग सुधार और शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन संहिता।

- सरकारी क्षेत्रों के बैंकों का बकाया ऋण-52 लाख करोड़ हो गया। बहुत सी परियोजनाएं शुरू की गई जो या तो पूरी नहीं की गई या उनके उपयोग की क्षमता कम थी जिसके फलस्वरूप वे ऋण चुकाने में असमर्थ रहे।
- इस स्थिति में सुधार के लिए पहचान, समाधान पुन: पूंजीकरण और सुधारों का अनुसरण किया गया। स्वच्छ बैंकिंग सुनिश्चित करने, पारदर्शी व जवाबदेह प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु शोधन अक्षमता ओर दिवालियापन संहिता ने समाधान तंत्र विकसित किया जो अनर्जक ऋणों की वसूली में सहायता कर रहा है।
- सरकारी क्षेत्रों के बैंकों की स्थिति बहाल करने के लिए 2.6 लाख करोड़ का निवेश करके पुन: पूंजीकरण किया गया।
 बैकों का एकीकरण भी किया गया ताकि किफायत विधियां अपनाने, पूंजी तक बेहतर पहुँच का लाभ उठाया जा सकें।
- 8. भ्रष्टाचार के विरुद्ध बेनामी संव्यवहार अधिनियम (1988) तथा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 उन अपराधियों की परिसंपत्तियों को जब्त करने व निपटाने में सहायता करेगा जो देश के न्यायाधिकार से बच निकलते हैं।
- 9. वर्ष 2019 में महात्मा गांधी की 150 <mark>वी जयंती की श्रद्धांजली के रूप में</mark> स्वच्छता हेतु, भारत में लगभग 98 प्रतिशत ग्रामीण स्वच्छता कवरेज हासिल की और घोषित 5.45 लाख गांव को खुले में शौच मुक्त घोषित किया।

10. गरीबी और पिछड़े वर्ग हेतु

- गरीबों के लिए 10% आरक्षण सुनिश्चित किया गया।
- मनरेगा के लिए 2019-20 में 60,000 करोड़ का आबंटन।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19000 करोड़ का आबंटन। इस योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण में तीन गुना वृद्धि हुई।
- सौभाग्य योजना के तहत लगभग 2.5 करोड़ परिवारों को बिजली पहुंचाई तथा 143 करोड़ एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए गए।
- विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कवरेज कार्यक्रम, 'आयुष्मान भारत' में 50 करोड़ लोगों को चिकित्सा नि:शुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें आवश्यक दवाइयों कार्डियक स्टेंट और घुटनों के इप्लांट की कीमत में कटौती जन औषधि केद्रों के द्वारा कम मूल्य पर दवाईयों की उपलब्धता कराना है।
- वर्तमान में देश में 21 एम्स कार्यरत है 22वां एम्स हिरयाणा में खोलने की घोषणा की गई।

निर्माण IAS निर्माण IAS

11. किसानों की उन्नति व आय वृद्धि-

- किसानों की आय दुगुनी करने के लिए 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से कम से कम 50% अधिक निर्धारित किया।
- छोटे व सीमांत किसानों को निश्चित आय मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आरंभ की।
- इस योजना में 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले भू-स्वामी किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6000 की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान की जाएगी। इससे 12 करोड़ छोटे किसान लाभान्वित होगे। पीएम किसान योजना हेतु 2019-20 के लिए 75000करोड़ की राशि स्वीकृति की गई।
- **राष्ट्रीय कामधेनु आयोग** गऊ संसाधनों के अनुवांशिक उन्नयन को स्थायी रूप से बढ़ाने और गायों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस आयोग की स्थापना की जाएगी।
- भारत विश्व में द्वितीय सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, वैश्विक उत्पाद में 6.3 प्रतिशत हिस्सेदारी हैं। इस सेक्टर पर ध्यान देने के लिए **मत्स्यपालन विभाग** की स्थापना की गई।
- किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण प्राप्त करने में− 2% ब्याज सब्सिडी को बढ़ाकर 3% प्र<mark>तिश</mark>त अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।

12. मजदूरों व कामगारों के लिए-

- - कर्मचारियों के हिस्से को 10% रखते हुए सरकार के योगदान को 4% बढ़ाकर 14% किया गया।
- 🖊 श्रमि<mark>कों के</mark> बोनस को 3500रु. से बढ़ाकर 7000 किया।
- 🖊 ईएसआई की सुरक्षा पात्रता सीमा 15000 रु. से बढ़ाकर 21000 रु. प्रतिमाह किया।
- सर्विस के दौरान किसी श्रमिक की मृत्यु होने <mark>पर ईपी</mark>एफओ द्वारा राशि 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख सुनिश्चित की गई।
- आ<mark>गनबाड़ी व आशा योजना के कर्मियों के मानदेय में 50% की वृद्धि की जायेगी।</mark>
- प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानव धन योजना- असंगठित क्षेत्र के 42 करोड़ कामगारों के लिए जो रिक्शा चालक, निर्माण कार्यों में लगे मजदूर कृषि कामगार, हथकरघा जैसे व्यवसायों में संलग्न हैं को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु की गई। नियम- मासिक आय 15000रु. या उससे कम हो।
- 60 वर्ष की आयु <mark>से 3000रु. मासिक पेंशन दी जाएगी।</mark>
- 29 वर्ष की आयु में <mark>इस कार्यक्रम से जुड़ने वालो को 100रु. प्रति माह</mark> अंशदान करना होगा।
- 18 वर्ष की आयु में जुड़<mark>ने वालों को 55रु. प्रति माह अंशदान करना होगा।</mark>
- विमुक्त, घुमंतु, अर्द्ध-घुमंतु स<mark>मुदायों को सूचीबद्ध करने व उन तक कल्याणकारी</mark> विकास कार्यक्रमों में शामिल करने हेतु नीति आयोग एक समिति का गठन <mark>करेगा। इसके पहले रेणके आयोग व **इदाते** आयोग ने इन्हें सूचीबद्ध करने का कार्य किया था।</mark>

13. महिला प्रोरित विकास हेतु

- उज्जवला योजना के तहत 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन मुक्त बांटने का लक्ष्य रखा गया।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 70% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं।
- गर्भवती महिलाओं के लिए 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जा रही है।

14. युवा वर्ग के सशक्तिकरण हेतु

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुद्रा योजना, स्टार्टअप और स्टैंड अप जैसी स्व रोजगार योजनाओं के माध्यम से युवा सशक्तिकरण हेतु प्रयास किए गए।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा पोर्टल विकसित किया जाएगा।